न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : वाद 45/2020 (2020/00145)

अनवान

1 से 4 विनोद - राजेश - रामनारायण - राधिका पिता चौथुलालजी ब्राह्मण निवासी नरपत की खेड़ी
5- प्रभादेवी पत्नी चौथुलाल जी ब्राह्मण निवासी नरपत की खेड़ी
6- अम्बालाल पिता भवानी शंकर जी ब्राह्मण नि० नरपत की खेड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ — विपक्षीगण / वादीगण

बनाम

1- अभयकुमार पिता शिवलाल ब्राह्मण निवासी B-165 शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़
2- सत्यनारायण पिता कानमल जी ब्राह्मण हा० नरपत की खेड़ी RK कोलोनी जिंकनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. दिनेश चन्द्र शर्मा पिता का नाम मालूम नहीं जाति ब्राह्मण निवासी कर्मचारी हिन्दुस्तान जिंक लेड पुठोली जिला चित्तौड़गढ़
4- पिन्टू पिता राधेश्याम जी वैष्णव निवासी जिंकनगर के सामने आर.के.कोलोनी चित्तौड़गढ़ — प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा० दी.

उपस्थिति 1- श्री [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
2- श्री [illegible] अधिवक्ता विपक्षीगण / वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 23/3/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद संख्या 44/2020 विनोद बनाम अजय कुमार वगैरह अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नरपत की खेडी की खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी कीता 8 कुल रकबा 2.12 हे. खाता संख्या 29 पर दर्ज आ.नं. 463 रकबा 0.63 हे. खाता संख्या 30 पर दर्ज आराजी नं. 453 रकबा 0.05 हे. वादीगण की खातेदारी की होकर वादीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की नियत से निर्माण करने पर आमदा हो रहे है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण 1 से 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित समस्त आराजीयात का मौके पर भू रुपान्तरण होकर कृषि भूमि नहीं रही है उक्त आराजीयात पर कई लोगों के मकानात बन चुके हैं और वे परिवार सहित निवास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कश्मोर ने रुपान्तरित भूखण्डों के लिए सडके बनवायी है। और मौके पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० ने ~~[illegible]~~ रुपान्तरित भूमि पर बने मकानों व व्यवसायिक स्थलों पर विद्युत कनेक्शन दिए हुए है। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भू रुपान्तरण का अमलदरामद नहीं होने से वादीगण ने गलत वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण संख्या 1 से 4 के पिता [illegible] पति छीतरलाल चौकीला व वारिसान [illegible] जरिए पावर ऑफ अटार्नी होल्डर [illegible] के माध्यम से बिक्री

--- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौड़गढ़

अनुज्ञा कई विक्रय पत्रों के माध्यम से कृषि भूखण्ड व रूपान्तरित भूखण्डो को कई लोगों को विक्रय कर दिए है, कई लोगो जिन्होंने कृषि भूखण्ड खरीदे। उन्होंने भू-रूपान्तरण भी कराया और खरीददारों के मकानात बन चुके है। उक्त आराजीयात के रूपान्तरण हेतु विधि अनुसार टाउन प्लानर उदयपुर से नक्शा भी पास हुआ और विधि अनुसार रूपान्तरण हुआ है, जिससे कृषि भूमि नही रही है, ऐसी स्थिति मे केवल अमलदरामद राजस्व रेकार्ड मे नही होने का नाजायज लाभ उठाकर जो वाद पेश किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि नही रहने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा. दी. स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किए जाने बाबत् निवेदन किया।

विपक्षीगण / वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा. दी. का जवाब प्रस्तुत किया। जिसके बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सुनी गयी तथा विपक्षीगण / वादीगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रा. पत्र प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का अवलोकन का अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण प्रा. पत्र [illegible] नियम 11 जा. दी. मे वर्णित

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सबको भी पक्ष नहीं दीगर व्यक्तियों एवं परिवारजनों
प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित करने को मामला रहता है
वाद पत्र की पठन वाला । मे वर्णित [illegible]
इस कारण पूर्ति नहीं रही है, जिससे प्रस्तुत वाद पत्र
इस न्यायालय क्षेत्राधिकार का नहीं होने से वाद पत्र
की सुनवाई की जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण / प्रतिप्रार्थीगण
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी.
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद
संख्या 44/2020 विनोद बनाम अजय कुमार
इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। नियमानुसार
डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:51 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1से 4 विनोद –राजेश– रामनारायण – राधिका पिता धीसूलाल ब्राहमण नि.नरपत की खेडी
5– प्रभादेवी पत्नी घीसूलाल ब्राहमण नि.नरपत की खेडी
6– अम्बालाल पिता भवानीशंकर ब्राहमण नि.नरपत की खेडी तह.व जिला चित्तौडगढ़

विपक्षीगण / वादीगण

बनाम

1–अभयकुमार पिता शिवलाल ब्राहमण नि.बी–165 शास्त्रीनगर चित्तौडगढ़
2–सत्यनारायण पिता कानमल ब्राहमण नि.नरपत की खेडी आर के कोलोनी जिंक नगर तह.व जिला चित्तौडगढ
3–दिनेशचन्द्र शर्मा पिता का नाम मालूम नही जाति ब्राहमण नि.कर्मचारी हिन्दुस्तान जिंक लेड पूठोली जिला चित्तौडगढ़
4–पिन्टू पिता राधेश्याम जी वैध नि.जिंकनगर के सामने आर.के.कोलोनी चित्तौडगढ़

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्र.सं. 44 / 2020 (GCMS 2020/00145)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण / विपक्षीगण की ओर से वकील श्री संजय कुमार मौड की, और प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री बसन्तीलाल पोखरना की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 44 / 2020 विनोद बनाम अभय कुमार इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:24:51 IST
Reason: SelfAttested